न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 73/2020
GCMS NO. : 2020/00129

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. उदाराम पुत्र सुजाराम जाति–गुर्जर निवासी–रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02/11/2020

उपस्थित:– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 14/02/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा रामावास कलां पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 171 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है, जिस पर वादी एवं उसका भाई भालीया उर्फ भालाराम काबिज होकर काश्त कर रहे है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि वादी की पुश्तैनी कब्जा सुदा हक सुदा है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता सुजा पुत्र लखा जी गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। सुजा जी के देहान्त होने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 204 दिनांक 02/04/1985 के उक्त वादी एवं उसके भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम उदाराम की बजाय राजस्व रेकर्ड में बुधाराम दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी में अंकन कर दिया। वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, चुनाव परिचय–पत्र आदि सभी दस्तावेजात में वादी का सही नाम उदाराम पुत्र सुजाराम दर्ज है। जबकि इस वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बुधाराम पुत्र सुजा के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानियां उठानी पड रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रहा है। वादी ने गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु श्रीमान तहसीलदार जैतारण व उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होनें दिनांक 13/10/2020 को इस प्रकार की दुरूस्ती करने से इंकार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्राकर से वादी की इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम उदाराम पुत्र सुजाराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम बुधाराम पुत्र सुजा के स्थान पर वादी दर्ज करावने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वाद–पत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। धारा ८०(2) का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 13/10/2020 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम से दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वाद–पत्र प्रस्तुत है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि ग्राम रामावास कलां के खसरा नम्बर 171, 172 में बुधाराम पुत्र सुजाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज होना सही है। वाद–पत्र के बिन्दू संख्या 2 का जवाब है कि यह सही है, उक्त इन्द्राज जरिये विरासत ना0सं0 204 से हुआ। विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में खातेदार का नाम उदाराम पुत्र सुजाराम दर्ज होना सही है। वाद–पत्र के बिन्दू संख्या 4 से 7 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में बुधाराम पुत्र सुजाराम दर्ज है जबकि सही नाम उदाराम पुत्र सुजाराम है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। ग्राम रामावास कलां की जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 के खसरा नम्बर 171 रकबा 03–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 172 रकबा 03–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बुधाराम पुत्र सुजा बतौर सह–खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2039–2042 (प्रदर्श–6) में अंकित नामांतरण के नोट अनुसार नामान्तरण संख्या 204 दिनांक 02/04/1985 के द्वारा वादग्रस्त आराजी में जरिये फौतेदगी नामांतरण भैरा, भालीया, बुधाराम पिसरान सुजा नाम की प्रविष्टियां दर्ज हुई। वादी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 एवं गवाह दातार सिंह पुत्र गोविन्दसिंह एवं शिवलाल पुत्र भालाराम का साक्ष्य शपथ पत्र क्रमशः P/W 02 एवं P/W 03 पेश किये। वादी उदाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 [illegible] के शपथ पत्र P/W 02 व P/W 03 के अनुसार वादी का [illegible] उदाराम है ना कि बुधाराम। वादी ने यह कथन किया [illegible] दस्तावेज उदाराम पुत्र सुजाराम के नाम से है तथा जमाबन्दी स[illegible] 2039–42 में बुधाराम पुत्र सुजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नाम दर्ज होने से उसे भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श–1ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–2ए (राशन कार्ड), प्रदर्श–3ए (निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र), प्रदर्श–4ए (जन–आधार कार्ड) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का नाम उदाराम है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावे में यह स्पष्ट किया है कि विवादित खसरा में वादी का नाम जरिये नामा0 सं0 204 से दर्ज होना सही है एंव वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में बुधाराम पुत्र सुजा दर्ज है जबकि सही नाम उदाराम है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में वादी का नाम बुधाराम के स्थान पर उदाराम दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब–दावे एवं वादी एवं गवाह के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त सामलाती आराजी में वादी का सही एवं वास्तविक नाम उदाराम है न कि बुधाराम। भू–अभिलेख में दर्ज बुधाराम वस्तुतः एक लिपिकिय एवं स्थानीय भाषागत उच्चारण से संबंधित दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावास कलां पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 171 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"बुधाराम"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***"उदाराम"*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

निर्णय आज दिनांक 14/02/2022 को खुले–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री बमुकदमें इब्तदाई</u>
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादी :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. उदाराम पुत्र सुजाराम
जाति–गुर्जर निवासी–रामावास कलां
तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0बा0 स0: 73/2020

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावास कलां पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 171 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***<u>''बुधाराम''</u>*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***<u>''उदाराम''</u>*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/02/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुतफरिक	0.00
मिजानः–	7.00	मिजान	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कोई खर्चा जो कि इस मुकदमें में चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested